कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।

पत्रांक–मु0चि0अ0 / त0नि0क0 360

दिनॉक–27.03.2020

आदेश

कोविड–19 महामारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है जिसकी रोकथाम हेतु पूरे प्रदेश में दिनॉक 25.03.2020 से लॉकडाउन घोषित किया गया है।पान मसाला खाकर थूकने तथा पान मसाला का पाउच छोटा होने के कारण उसका उपयोग करने पर भी कोविड–19 महामारी का संक्रमण फैलने के सम्भावना को ध्यान में रखते हुये खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 30(2)(क) में आयुक्त, खाद्य सुरक्षा को प्रदासन की गई शक्तियेा का प्रयोग करते हुये जन स्वास्थ के दृष्टिगत पान मसाला के विनिर्माण वितरण एंव विक्रय पर अग्रिम आदेशो तक तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है।उल्लेखनीय है कि प्रदेश में गुटके का विनिर्माण,भण्डारण,वितरण एंव विक्रय दिनॉक 01.04.2013 यसे प्रतिबन्धित है।

जनपद में गुटखा / पान मसाले पर उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम की धारा 16(2)(iv) का उल्लंघन होगा जो उक्त अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एंव ऐंसे प्रतिष्ठान जो इस देश का उल्लंघन करते पाये जायेगें उनका लाइसेंस / पंजीकरण खाद्य सुरक्षा एव मानक (खाद्य कारोबार का लाइसेंस / पंजीकरण) विनियम 2011 के विनियम 2.1.8(4) के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबति कियें जाने एंव प्रतिष्ठान बंद कराये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

(जिलाधिकारी)
कानपुर नगर

पत्रांक–मु0चि0अ0 / त0नि0क0 360

दिनॉक–27.03.2020

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.आयुक्त कानपुर मण्डल महोदय,कानपुर नगर को सूचनार्थ।
2 वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानपुर नगर।
3.मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर।
4.मुख्य चिकित्सा अधिकारी कानपुर नगर।
5.जिला पंचायत राज अधिकारी कानपुर नगर।
6.अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) / अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि0 / रा0) कानपुर नगर।
7 नगर आयुक्त कानपुर नगर निगम।
8. सिटी मजिस्ट्रेट कानपुर नगर।
9.नोडल अधिकारी–जिला कण्ट्रोल रूम नगर निगम कानपुर।
10. समस्त क्षेत्राधिकारी कानपुर नगर।
11.अभिहित अधिकारी कानपुर नगर।

(जिलाधिकारी)
कानपुर नगर